इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अगस्त 2023—भाद्र 6, शक 1945

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. एफ 02/01/19/2019/23/यो.आ.सां.— राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 02—01—2019—तेइस—पीईएस दिनांक 10 फरवरी, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

(1) शब्द ''मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग'' जहां कही भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग'' स्थापित किए जाएं।

(2) शब्द ''सदस्य—सचिव'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)'' स्थापित किए जाएं।

(3) खण्ड 7 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"7. संरचना.— नीति आयोग (भारत सरकार) की संरचना के अनुरूप, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग निम्नानुसार होगा:—

(एक)	मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	—	अध्यक्ष
(दो)	उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग	—	उपाध्यक्ष
(तीन)	मंत्री, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	—	पदेन उपाध्यक्ष
(चार)	मंत्री, वित्त विभाग	—	पदेन उपाध्यक्ष
(पांच)	उपाध्यक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	—	पदेन उपाध्यक्ष
(छह)	विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले तीन व्यक्ति (माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट)	—	अंशकालीन सदस्य
(सात)	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	—	सदस्य
(आठ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य
(नौ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	—	सदस्य
(दस)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	—	सदस्य
(ग्यारह)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग (सीईओ)	—	सदस्य—सचिव।"।

2. मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग के कार्यकलाप एवं उत्तरदायित्व, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के समान ही बने रहेंगे।

No. F.02-01-19-XXIII-PES.--

The State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No.F.02-01-2019-XXIII-PES dated 10th February, 2020, namely :-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(1) for the words "Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission" wherever they occur, the words "Madhya Pradesh Rajya NITI Aayog" shall be substituted.

(2) for the words "Member-Secretary" wherever they occur, the words "Chief Executive Officer (CEO)" shall be substituted.

(3) for clause 7, the following clause shall be substituted, namely :-

"7. **Composition.-** In accordance with the composition of NITI Aayog, (Government of India) Madhya Pradesh Rajya NITI Aayog shall be as follows:-

(i)	Chief Minister, Government of Madhya Pradesh	-	Chairman
(ii)	Vice-Chairperson, Madhya Pradesh Rajya NITI Aayog	-	Vice-Chairman
(iii)	Minister, Planning, Economics and Statistics Department	-	Ex-officio Vice-Chairman
(iv)	Minister, Finance Department	-	Ex-officio Vice-Chairman
(v)	Vice-Chairman, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis	-	Ex-officio Vice-Chairman
(vi)	Three persons having special knowledge in various fields (nominated by the Hon'ble Chief Minister)	-	Part-time members

(vii)	Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh	-	Member
(viii)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance Department	-	Member
(ix)	Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Planning, Economics and Statistics Department	-	Member
(x)	Chief Executive Officer, Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis	-	Member
(xi)	Chief Executive Officer, Madhya Pradesh Rajya NITI Aayog (CEO)	-	Member-Secretary.".

2. The functions and responsibilities of the Madhya Pradesh Rajya NITI Aayog shall remain the same as those of the Madhya Pradesh State Policy and Planning Commission.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिल्पा गुप्ता, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.